न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 29/2017 जिला दौसा

जगदीश शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्रम पंडितपुरा, तहसील बसवा, जिला दौसा । हाल निवासी रेलवे क्वाटर, बांदीकुई, जिला दौसा (राजस्थान)

अपीलार्थी

बनाम

1. मनभर देवी पत्नि स्व. मोती लाल
2. गजानन्द पुत्र स्व. मोती लाल
3. देवकीनन्दन पुत्र स्व. मोती लाल
   समस्त निवासीयान ग्रम पंडितपुरा, तहसील बसवा, जिला दौसा । हाल निवासी ए–64, सरस्वती कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर ।
4. मु.उर्मिला पुत्री स्व. मूलचन्द पत्नि कैलाश चन्द निवासी दूब्बी, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
5. तहसीलदार बसवा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 18.5.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री रमेश कुमावत
2. वकील रेस्पोडेन्ट श्री राजेश गुर्जर

निर्णय

दिनांक– 6.2.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 18.5.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम पंडितपुरा, तहसील बसवा, जिला दौसा स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 186 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 339 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 340 रकबा 0.17 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर का खातेदार मूल चन्द पुत्र गोपी जाति ब्राह्मण था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 586 सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी दौसा ने दिनांक 25.4.1996 को जगदीश प्रसाद पुत्र मूलचन्द के नाम स्वीकार किया । उक्त नामांतरकरण संख्या 586 दिनांक 25.4.96 से व्यथित होकर मूलचन्द के पुत्र मोती लाल की विधवा मु. मनभरी शर्मा, गजानन्द एवं देवकीनन्दन पुत्रान मोती लाल द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई । अति. जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.5.2017 द्वारा प्रश्नगत पैतृक भूमि की विरासत का नामांतरकरण मृतक मूलचन्द पुत्र गोपीराम बाह्मण निवासी पंडितपुरा तहसील बसवा के वारिसान की जॉच कर उनके हिस्से अनुसार खोला जाना चाहिये था, किन्तु नामांतरकरण मात्र रेस्पोंडेट संख्या 1 के नाम ही खोले जाने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 586 दिनांक 25.4.96 निरस्त करते हुये प्रकरण उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विरासत का नामांतरकरण खोले जाने के संबंध में विधिसम्मत निर्णय पारित कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु तहसीलदार बसवा को रिमाण्ड किया गया । अति. जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 18.5.2017 के खिलाफ यह द्वितीय अपील अपीलान्ट जगदीश शर्मा पुत्र मूलचन्द द्वारा प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार मूलचन्द की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 586 दिनांक 25.4.96 ए.एस.ओ. द्वारा अपीलान्ट के नाम तस्दीक किया था जिसके खिलाफ प्रथम अपील अति. कलक्टर दौसा के समक्ष दिनांक 6.7.2012 को मियाद बाहर पेश

की गई थी तथा विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं था । रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रथम अपील को कैम्प कोर्ट बांदीकुई में सुनवाई हेतु लगवाने बाबत राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 5067/15 पेश की थी, जो आदेश दिनांक 28.4.2016 द्वारा प्रकरण की सुनवाई कैम्प कोर्ट बांदीकुई में किये जाने एवं दिनांक 18.5.2016 को दोनों पक्षों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु हाजिर रहने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन काफी लम्बे समय तक सुनवाई नहीं हुई । दिनांक 27.4.17 को पत्रावली बांदीकुई कैम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु आई , लेकिन अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर व नोटिस दिये बिना दिनांक 18.5.17 को एकपक्षीय सुनवाई करते हुये अपीलाधीन आदेश से अपील स्वीकार कर नामांतरकरण निरस्त किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना , तथ्यो, परिस्थिति एवं मौका स्थिति का विवेचन किये बिना ही राजस्व मण्डल के आदेश की मंशा के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है । रेस्पोंडेन्ट को प्रश्नगत नामांतरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही थी, लेकिन रेस्पोंडेन्ट ने प्रश्नगत नामांतरकरण की नकल हेतु दिनांक 20.6.2012 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर नकल दिनांक 20.6.2012 को प्राप्त हुई । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से साक्ष्य का विवेचन किये बिना प्रमाण पत्र दिनांक 12.2.95 को फर्जी मानकर एकपक्षिय निर्णय पारित किया है जबकि रेस्पोंडेन्ट्स न तो मृतक खातेदार मूलचन्द के उत्तराधिकारी है ना ही वारिस है । रेस्पोंडेन्ट्स के बिना वारिस घोषित हुये अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खतोदार मूलचन्द पुत्र गोपीराम ब्राह्मण था जिसके वारिस जगदीश अपीलान्ट, रेस्पोंडेन्ट के पति एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 3 के पिता मोती लाल एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 मु. उर्मिला पुत्री मूलचन्द है । मोती लाल के फौत होने पर उसकी विधवा व पुत्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 वारिस है । उनका कहना था कि अपीलान्ट जगदीश ने ग्रम पंचायत पंडितपुरा से मृतक खातेदार मूलचन्द का एकमात्र उत्तराधिकारी होने का फर्जी प्रमाण पत्र दिनांक 12.2.95 को प्राप्त कर लिया ओर दौराने बन्दोबस्त सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी से साज कर मूलचन्द की विरासत का नामांतरकरण संख्या 586 दिनांक 25.4.96 अपने नाम तस्दीक करवा लिया । उनका कहना था कि विवादित भूमि पैतृक भूमि है । सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा बिना मृतक खातेदार मूलचन्द के वासिान की जॉच किये एवं विधिक वारिसान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये केवल अपीलान्ट जगदीश के नाम प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया है, जो प्राकृकि न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.5.17 द्वारा स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किया है एवं उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विरासत का नामांतरकरण खोले जाने के संबंध में विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार बसवा को रिमाण्ड किया है जहॉ पर सभी पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय होगा । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार मूलचन्द की विरासत के नामांतरकरण का है । मूलचन्द की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 586 सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दिनांक 25.4.96 को अपीलान्ट जगदीश पुत्र मूलचन्द के नाम स्वीकार किया गया । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 मृतक खातेदार मूलचन्द के पुत्र मोती लाल की विधवा एवं पुत्रान होने से एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 मु. उर्मिला मृतक खातेदार मूलचन्द की पुत्री होने से मूलचन्द की भूमि में हिस्सा चाहते हैं । रेस्पोंडेन्ट्स की प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपील अति. जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.5.2017 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 586 दिनांक 25.4.96 निरस्त करते हुये प्रकरण उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विरासत का नामांतरकरण खोले जाने के संबंध में विधिसम्मत निर्णय पारित कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु तहसीलदार बसवा को रिमाण्ड किया गया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि मृतक खातेदार मूलचन्द के पुत्र अपीलान्ट जगदीश एवं मृतक पुत्र मोती लाल की विधवा मनभर देवी , पुत्रान गजानन्द, देवकीनन्दन तथा मृतक खातेदार मूलचन्द की पुत्री उर्मिला रेस्पोंडेन्ट्स हैं जिन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना व मृतक खातेदार मूलचन्द के विधिक वारिसान की जॉच किये बिना प्रश्नगत नामांतरकरण केवल जगदीश पुत्र मूलचन्द अपीलान्ट के नाम सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा स्वीकार किया है , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । प्रभावित पक्षकारों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । किसी भी पक्षकार को बिना सुने उसके अधिकारों के विपरीत पारित निर्णय को न्यायिक रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट्स की अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 586 दिनांक 25.4.96 निरस्त करते हुये उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विरासत का नामांतरकरण खोले जाने के संबंध में विधिसम्मत निर्णय पारित कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार बसवा को रिमाण्ड किया है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर